पत्र सख्या-स0द0-25-क-कोयला-11-12/ 1112054 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर ,वाणिज्य कर, उार प्रदेश

(सचलदल-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक सितम्बर , 09 2011

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर/एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2/

संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण /ज्वाइन्ट कमिश्नर / डिप्टी कमिश्नर/

असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी ,

वाणिज्य कर विभाग, उार प्रदेश ।

Key Word 1-47/ Import / verification of form /penalty

विषय :: कोयला व्यापारियों / निर्माता व्यापारियों द्वारा ईंधन से भिन्न प्रयोग हेतु प्रान्त बाहर से कोयला आयात करने पर आयात घोषणा पत्र जारी करते समय जमानत लिए जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या-चे0पो0-25क-कोयला-10-11/ 1011023 / वाणिज्यकर दिनांक 21-06-10 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा रेल मार्ग से आयातित कोयले पर रु0 200/- प्रति मीट्रिक टन तथा सड़क मार्ग से आयातित कोयले पर रु 240/- प्रति मीट्रिक टन की दर से अग्रिम कर के रुप में जमानत जमा कराकर आयात घोषणा पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये थे । तत्समय कोयले के बी0सी0सीएल0 से प्राप्त निम्न मूल्यों के आधार पर प्रति मीट्रिक टन का ऑकलन करते हुए उपर्युक्तानुसार जमानत राशि का निर्धारण किया गया था :-

क्र0 सं0	कोयले की किस्म	15 प्रतिशत से अनधिक कोल ऐश वाले कोयले का मूल्य (स्टील ग्रेड-1)	15 प्रतिशत से अधिक किन्तु 18 प्रतिशत से अनधिक कोल ऐश वाले कोयले का मूल्य (स्टील ग्रेड-2)	औसत मूल्य
1	स्टीम कोल	3930	3320	3625
2	स्लैक कोल	3770	3160	3465
3	आर0ओ0एम0	3750	3140	3449
		औसत मूल्य		3513

वर्तमान में बी 0सी0सी0एल0 से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 27-02-11 को उक्त कोयले की श्रेणी का मूल्य निम्नवत् हो गया है :-

क्र0 सं0	कोयले की श्रेणी	कोयले की किस्म	15 प्रतिशत से अनधिक कोल ऐश वाले कोयले का मूल्य	15 प्रतिशत से अधिक किन्तु 18 प्रतिशत से अनधिक कोल ऐश वाले कोयले का मूल्य	औसत मूल्य
1	स्टील ग्रेड -1/2	स्टीम कोल	5060	4260	4660
2	स्टील ग्रेड -1/2	स्टीम कोल	4900	4100	4500
3	स्टील ग्रेड -1/2	आर0ओ0एम0 कोल	4880	4080	4480
		योग -			**4547**

उपर्युक्त के अतिरिक्त कोयले के माल भाड़े तथा अन्य खर्चों मेंभी वर्ष 2010 की अपेक्षा काफी वृद्धि हो गयी है । उपर्युक्त वृद्धियों को दृष्टिगत रखते हुए तात्कालिक प्रभाव से सड़क मार्ग से आयात किए जाने वाले कोयले के सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1- कोयले का केवल ईधन (फ्यूल)हेतु प्रयोग करने वाले निर्माता पंजीकृत व्यापारियों को आयात के लिए घोषणा पत्र जारी करते समय कोई जमानत नहीं ली जायेगी । कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा ऐसे व्यापारियों को आयात के लिए घोषणा पत्र जारी करते समय प्रत्येक प्रपत्र पर **" केवल ईधन के लिए कोयला आयात "** की मोहर **लाल स्याही** से लगाई जाएगी । ऐसे आयात घोषणा पत्रों पर कोयले की लायी जाने वाली मात्रा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा किन्तु यदि आयात घोषणा पत्र (फार्म-38) पर घोषित मात्रा से अधिक कोयला आयात करते हुए पाया जाता है तो अधिक पाई गयी मात्रा पर नियमानुसार जमानत जमा कराई जाएगी तथा संबंधित कर निर्धारण अधिकारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी । कर निर्धारण अधिकारी कोयले के ईधन के रुप में प्रयोग करने हेतु आयात घोषणा पत्र जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि आयातित कोयले का प्रयोग निर्माता व्यापारी द्वारा निर्माण कार्य में ही किया जा रहा है, इस छूट की आड़ में निर्माताओं द्वारा कोयले की ट्रेडिंग / आयात घोषणा पत्र अन्य को उपलब्ध कराने का कार्य तो नहीं हो रहा है ।

2- ईट भट्ठा की समाधान योजना अपनाने वाले ईट निर्माता व्यापारियों को ईधन के रुप में सड़क मार्ग से कोयला आयात किये जाने हेतु कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा आयात घोषणा पत्र जारी करते समय उनसे कोई जमानत नहीं ली जाएगी तथा जारी किये गये आयात घोषणा पत्रों पर पर मोटे अक्षरों में लाल स्याही से **" ईट भट्ठा समाधान योजना के अन्तर्गत " -----------मात्रा-------- मीट्रिक कोयले के आयात हेतु "** की मोहर लगायी जाएगी । ईट भट्ठा समाधान योजना अपनाने वालू व्यापारियों को आयात घोषणा पत्र जारी करते समय कर निर्धारण अअिध्कारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे इस योजना के तहत अनुमन्य कोयले की मात्रा के अनुसार ही कोयले का आयात कर रहे हैं ।

यह सुविधा केवल **सड़क मार्ग से** कोयला मंगाने पर **ईट भट्ठा समाधान योजना अपनाने वाले ईट निर्माताओं** को अनुमन्य होगी । रेल मार्ग से कोयला मॅगाये जाने पर निर्धारित की गयी धनराशि को नियमानुसार नकद जमा कराने के उपरान्त ही आयात घोषणा पत्र जारी किये जाएंगे ।

3- कोयले का ईधन (फ्यूल) से भिन्न उद्देश्य हेतु प्रयोग करने वाले निर्माता / पंजीकृत कोयला व्यापारी जिनमें कोयले की ट्रेडिंग करने वाले व्यापारी भी है,से उारप्रदेश वाणिज्यकर अधिनियम की धारा-19(3) के अन्तर्गत नगद जमानत **रु0 320/- प्रति मीट्रिक टन** की दरसे **" आयात के लिए घोषणा पत्र (फार्म-38) "** जारी करते समय ली जाएगी । आयात घोषणा पत्र में कोयले की मात्रा अंकित करते समय सामान्यत: व्यापारी जितना कोयला अंकित कराना चाहे उसम आपाि नहीं होनी चाहिए व तदनुसार ही जमानत जमा करा ली जाएगी । ऐसे आयात घोषणा पत्रों पर **" -----------(मात्राशब्दों व अंकों में) मीट्रिक टन कोयले के आयात हेतु "** की मोहर **लाल स्याही से** लगायी जाएगी । यदि किसी कारणवश आयात घोषणा पत्र में घोषित मात्रा से कम कोयले का आयात संबंधित व्यापारी द्वारा आयात घोषणा पत्र किया जाता है, तो शेष जमानत की धनराशि का लाभ अगली बार आयात घोषणा पत्र निर्गत करते समय, उसे दे दिया जाए । आयात घोषणा पत्र में अंकित मात्रा से अधिक मात्रा में बिल एवं बिल्टी में घोषित करके कोयले का आयात किया जाना पाया जाता है तो अंकित मात्रा से अधिक पाये गये कोयले पर नियमानुसार जमानत जमा कराकर कर निर्धारण अधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित की जाए ।

4- **रेल द्वारा** कोयला आयचात करने वाले व्यापारियों को आयात के लिए घोषणा पत्र (फार्म-38), बिल्टी (आर0 ार0) प्रस्तुत करने पर आयात किये जा रहे कोयले के वजन को देखते हुए**, प्रति मीट्रिक टन रु0 270/-** नगद जमानत जमा कराने के उपरान्त जारी किया जाएगा । रेलवे से कोयला आयात के लिए आयात घोषणा पत्र के शीर्ष पर **" केवल रेलवे से कोयला आयात हेतु "** की मोहर लगायी जाएगी । किसी पंजीकृत व्यापारी द्वारा रेल मार्ग से आयात घोषणा पत्र में घोषित माल से अधिक मात्रा में कोयला आयात किए जाने पाये जाने पर नियमानुसार जमानत जमा कराकर रिपोर्ट कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित की जाएगी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमानुसार अर्थदण्ड / कर निर्धारण की कार्यवाही की जाएगी ।

5- यदि किसी अपंजीकृत व्यक्ति / व्यापारी द्वारा बिना आयात घोषणा पत्र के कोयला आयात किया जाना पाया जाता है तो उससे वाणिज्यकर कर अधिनियम के अन्तर्गत एवं माल के प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत, दोनों अधिनियमों के अन्तर्गत अलग अलग कार्यवाही करते हुए प्रत्येक अधिनियम के अन्तर्गत माल के मूल्य के 40 प्रतिशत के बराबर अर्थात कुल 80 प्रतिशत की धनराशि जमानत के रुप में जमा कराते हुए नियमानुसार अर्थदण्ड / कर निर्धारण की कार्यवाही की जाएगी ।

6- पंजीकृत व्यापारियों के प्रकरणों में करापवंचन पाये जाने पर वाणिज्य कर एवं प्रवेश कर अधिनियम दोनों के अन्तर्गत सम्मिलित रुप से जमानत की धनराशि माल के मूल्य के 40 प्रतिशत के बराबर जमा करायी जाएगी तथा संबंधित कर निर्धारण अधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। वह अपने स्तर से नियमानुसार अर्थदण्ड / कर निर्धारण की कार्यवाही करेंगे। पंजीकृत व्यापारियों से जमानत जमा कराये जाने की सूचना प्राथमिकता के आधार पर **एक सप्ताह के अन्दर कर निर्धारण अधिकारी को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा।**

उक्त निर्देश दिनांक 15-09-2011 से लागू होंगे, इनका कड़ाई से पालन किया जाय।

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्यकर,
उार प्रदेश।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।</u>

प्रलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. संयुक्त सचिव,संस्थागत वि, कर एवं निबन्धन अनुभाग,अनुभाग -2 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
3. माननीय अध्यक्ष, वाणिज्य कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ।
4. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. अध्यक्ष / निबन्धक उार प्रदेश वाणिज्य कर , लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण वाणिज्य कर उ0प्र0
6. प्रबन्धक , इसेंटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग, / सहायक निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ
7. महालेखाकार, 171-ए,अशोक नगर, इलाहाबाद।
8. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उार प्रदेश।
9. सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिसआफ दए0जी0 ाडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
10. विकास आयुक्त,नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर-10, नोएडा।
11. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैलफेयर एसो0, 185 / 293, अमीनाबाद रोड,गणेश गंज, लखनऊ।
12. अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु,सी-15, मालएवेन्यू, लखनऊ।
13. श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्यस्तरीय वाणिज्यकर सलाहकार समिति 29-बी, विधायक निवास दारुलसफा, लखनऊ।
14. मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 , सिविल लाइन्स, कानपुर।
15. एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एंड इण्ड0 4/180, विशाल खण्ड, पी0वी0-17,गोमती नगर, लखनऊ
16. पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एंड इंड0 1-ए, ला-प्लास, शाहनजफ रोड,लखनऊ।
17. अवध चेम्बर आफ कामर्स एंड इंड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इंड0,ऐशबाग, रोड, लखनऊ।
18. आल इडिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4 , साइट सं0-3, मेरठ रोड, इंण्डस्ट्रीयल एरिया,गाजियाबाद।
19. कनफेडरेशन आफ इन्डियन इंड0एसोसिएशन, प्लाट-ए, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
20. राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) के माध्यम से।
21. उत्तर -प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इंजीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
22. शिव कुमार रोडा,एडवोकेट, महासचिव, उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसो0जमुना बिहार, एस0 एस0 कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर।

23. श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस, आर0-15/5 राजनगर , गाजियाबाद ।
24. श्रीमती इन्दु मिश्रा ,इन्दु पब्लिकेशनस , RDC-51 राजनगर , गाजियाबाद ।
25. श्री मदनमोहन भारतीय , एडवोकेट सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणउ0प्र0शासन , 26/103, बिरहाना रोड,कानपुर
26. प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ, डीन, फकल्टी आफ लॉ, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ।
27. प्रो0श्रीमती रंजना कक्कड़, 15,टैगोर टाउन, इलाहाबाद ।
28. श्री बी0 एन0 राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0 टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी , सिगरा, वाराणसी ।
29. श्री अशोक धवन, सी के -24/1, कुँज गली, चौक, वाराणसी ।
30. श्री उमंग अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी (FTTA) 77/3 ए एन0के0जैन मार्केट, कुली बाजार, कानपुर ।
31. श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष, पश्चिमी उार प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु0नगर1
32. श्री ब्रित चावला, महासचिव(पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0 ट्रक आपरेटर्स, फेंडरेशन (रजि0), पुलदाल मंडी , सहारनपुर
33. श्री आर0 डी0 गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
34. श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल, उार प्रदेश , 19-सुरेशबाग, कानपुर ।
35. इन्डियन इंड0एसो0 , 159/ए-8,15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर ।
36. संयोजक, टैक्सेशियों एकैडमिक एंड वेलफेयर फोरस एसो0 वेस्टर्न यू0पी0(रजि0) 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड, मेरठ ।
37. टैक्सेशन बार एसोसिएशन कार्मिशयल टैक्स बार रुम, जयपुर हाऊस , आगरा ।
38. श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 50-बी,उद्योग नगर, कानपुर
39. श्री अनिल कुमार बंसल, दि0 यू0पी0 रोलर फ्लोर मिलर्स, एसो0-3 एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ ।
40. श्री दिनेश अरोरा, उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0, 51/58-ए, शक्कर पटटी, कानपुर ।
41. श्री नन्द लाल, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 टेट व्यापार एसो0 565/566,राजेन्द्र नगर ,लखनऊ ।
42. श्री अरुण कुमारअवस्थी, प्रान्तीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीयउद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ
43. श्री गोपाल अग्रवालराष्ट्रीय महामंत्री आल इंडियाउद्योग व्यापाारप्रतिनिधि मंडल, 27-ए, मिशन कम्पाउन्ड, मेरठ ।
44. श्री दिनेश चन्द्र, उपाध्यक्ष, उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, बी0एन0रोड,अमीनाबाद, लखनऊ ।
45. अध्यक्ष, आई0   ई0ए0 इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खंड,फेस-2, गोमती नगर, लखनऊ ।
46. वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड, मेरठ ।
47. वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मंडल उपाध्यक्ष , अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) मंडल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा, सादाबाद गेट, हाथरस ।
48. समस्त अनुभाग / अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय-लखनऊ ।
49. सचलदल अनुभाग मुख्यालय को 25 प्रतियाँ अतिरिक्त ।

(एम0के0श्रीवास्तव)
ज्वाइन्ट कमिश्नर(सचलदल)वाणिज्यकर
मुख्यालय, लखनऊ ।